रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12032021-225855
CG-DL-E-12032021-225855

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1082] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 12, 2021/फाल्गुन 21, 1942
No. 1082] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 12, 2021/PHALGUNA 21, 1942

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 मार्च, 2021

का.आ. 1170(अ).—केन्द्रीय सरकार, औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम 1945 के नियम 44 के साथ पठित औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23) की धारा 20 की उपधारा (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 282(अ), तारीख 28 फरवरी, 2005 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, प्रादेशिक औषधि परीक्षण प्रयोगशाला, गुवाहाटी में –

(1) श्री अमर ज्योति छमुआह - कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक;

(2) श्री दिलिप कुमार सरकार - कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक;

(3) श्रीमती रिंकु कलिता - कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक; और

(4) श्री अरुण कुमार दास - कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक,

को नीचे वर्णित औषधियों के वर्गों के सिवाय औषधियों के सभी वर्गों की बाबत संपूर्ण भारत के लिए, सरकारी विश्लेषक के रूप में नियुक्त करती है, अर्थात:–

(i) सेरा

(ii) इंजेक्शन के लिए आशयित सीरम प्रोटीन्स का घोल;

(iii) वैक्सीन (आंत्रेतर और मुख से);

(iv) टॉक्सिन;

(v) एंटीजन;

(vi) एंटी- टॉक्सिन;

(vii) विसंक्रमित शल्यबन्ध और विसंक्रमित टांके;

(viii) बैक्टेरियोफेग्स;

(ix) पशु चिकित्सीय उपयोग के लिए एंटी- सेरा;

(x) पशु चिकित्सीय उपयोग के लिए वैक्सीन;

(xi) पशु चिकित्सीय उपयोग के लिए टॉक्साइड्स;

(xii) पशु चिकित्सीय उपयोग के लिए नैदानिक एंटीजन;

(xiii) वी डी आर एल एंटीजन;

(xiv) एच आई वी एंटीबॉडी मुक्त परिक्षण के लिए मानव रक्त और मानव रक्तोत्पाद घटक सहित;

(xv) ह्यूमन इम्युनोडेफिशिएंसी विषाणु, हेपेटाइटिस बी सर्फेस एंटीजन और हेपाटाइटिस सी विषाणु के लिए रक्त समूहन अभिकर्मक और नैदानिक किटें; और

(xvi) कण्डोम

[फा.सं. एक्स.11014/13/2020-डीआर]

डॉ. मनदीप के भण्डारी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health and Family Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th March, 2021

S.O. 1170 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 20 of the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940) read with rule 44 of the Drugs and Cosmetics Rules, 1945, and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Health and Family Welfare number S.O. 282(E), dated the 28th February, 2005, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby appoints—

(1) Shri Amar Jyoti Chamuah - Junior Scientific Assistant;

(2) Shri Dilip Kr. Sarkar - Junior Scientific Assistant;

(3) Smt. Rinku Kalita - Junior Scientific Assistant; and

(4) Shri Arun Kumar Das - Junior Scientific Assistant,

at the Regional Drugs Testing Laboratory, Guwahati as Government Analysts for the whole of India in respect of all classes of drugs except the classes of drugs mentioned below, namely:—

(i) Sera;

(ii) Solution of Serum Proteins intended for injection;

(iii) Vaccines (parenteral and Oral);

(iv) Toxins;

(v) Antigens;

(vi) Anti-toxins;

(vii) Sterilized Surgical Ligature and Sterilized Surgical Sutures;

(viii) Bacteriophages;

(ix) Anti-sera for veterinary use;

(x) Vaccine for veterinary use;

(xi) Toxoid for veterinary use;

(xii) Diagnostic Antigens for veterinary use;

(xiii) VDRL Antigen;

(xiv) Human Blood and Human Blood Products including components, to test for freedom for HIV antibodies;

(xv) Blood Grouping reagents and diagnostic kits for Human Immunodeficiency Virus, Hepatitis B surface Antigen and Hepatitis C Virus; and

(xvi) Condom.

[F.No. X.11014/13/2020-DR]

Dr. MANDEEP K BHANDARI, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR
Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2021.03.12 23:04:22 +05'30'